<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

कैलाश / रामदेव

केस संख्या : 132/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29 12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। उपस्थित अधिवक्तागण उप.। पत्रावली प्रार्थना पत्र 07 R11 के आदेश हेतु नियत है। प्रा0पत्र 07R11 स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 132/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक 04.08.2025

1. कैलाश पुत्र रूपाजी
2. सीताराम पुत्र रूपाजी
3. जयराम पुत्र रूपाजी

समस्त जाति जाट निवासी सुदर्शनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर ।

बनाम

1. रामदेव पुत्र खांगा (फौत)
   1/1 गोपाल पुत्र रामदेव
   1/2 रूकमा पत्नी रामदेव
   1/3 रामकिशोर पुत्र रामदेव
   1/4 नानूराम पुत्र रामदेव
   1/5 कमलेश पुत्र रामदेव
   1/6 पांचूराम पुत्र रामदेव
2. महादेव पुत्र खांगा (फौत)
   2/1 नानगराम पुत्र महादेव
   2/2 गोपीराम पुत्र महादेव
3. जगदीश पुत्र खांगा (मृतक)
   3/1 छितर पुत्र जगदीश (फौत)
   3/1/1 झुमा पत्नी छितर
   3/1/2 दामो पुत्र छितर
   3/1/3 राजू पुत्र छितर
   3/2 लालाराम उर्फ लाला पुत्र जगदीश (फौत)
   3/2/1 माली पत्नी लालाराम उर्फ लाला
   3/2/2 गोविन्द पुत्र लालाराम उर्फ लाला
   3/2/3 सुरेश पुत्र लालाराम उर्फ लाला
   3/3 कल्याण पुत्र जगदीश
   3/4 प्रभाती पत्नी जगदीश
4. जगदेव पुत्र खांगा (फौत)
   4/1 कजोड पुत्र जगदेव
   4/2 रामू पुत्र जगदेव
5. नाथूराम पुत्र भूराराम
6. सुरजाराम पुत्र भूराराम
7. डूंगा पुत्र मुन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

8. भगवान सहाय पुत्र सुरजाराम
9. सोनी पत्नी सुरजाराम
10. गोपाल पुत्र गंगाराम
11. रामलाल पुत्र गंगाराम
12. विरेन्द्र सिंह पुत्र गंगाराम
13. रामेश्वर पुत्र धन्ना
14. गोपी पुत्र धन्ना
15. नरसी पुत्र धन्ना
16. गुल्ला पुत्र धन्ना
17. उदा पुत्र धन्ना
18. कालू पुत्र डूंगा
19. मदन लाल पुत्र मांगू
20. जगदीश उर्फ नानचा पुत्र रामू
21. नानू पुत्र रामू
22. कैलाश चन्द पुत्र किशन लाल उर्फ किशनाराम उर्फ किशन
23. नारायण पुत्र टोडरमल
24. फुली देवी पत्नी किशन लाल उर्फ किशनाराम उर्फ किशन
25. महेश पुत्र किशन लाल उर्फ किशनाराम उर्फ किशन
26. रामनिवास पुत्र टोडरमल
27. सुवालाल पुत्र टोडरमल
28. भगवान सहाय पुत्र कानाराम
29. सुरेश कुमार पुत्र कानाराम
30. छीतरमल पुत्र मोलक
31. जीवणराम पुत्र मोलक
32. रामसहाय पुत्र मोलक
33. कजोड मल पुत्र जीवणराम
34. काना पुत्र सेडू
35. गंगाराम पुत्र मेवा
36. नानू पुत्र जोधा
37. पूरण पुत्र चोथू
38. बाबूलाल पुत्र जीवणराम
39. महादेव पुत्र जीवण राम
40. मोलक पुत्र जोधा
41. लादू पुत्र सेडू
42. हरि पुत्र चोथू
43. रामेश्वर पुत्र धन्ना
44. मांगू पुत्र डूंगा
45. सुणा पुत्र रामू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सुर्दशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

46. मूली देवी पत्नी सज्जन सिंह निवासी मईवाली ढाणी ग्राम पापडाकंला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनू
47. सुनिता कस्वा पत्नी कृष्ण कान्त निवासी बी एस एन एल ऑफिस के सामने सीकर
48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर
49. उप पंजीयक कार्यालय जालसू जयपुर ।
50. गिर्राज पुत्री रूपाजी
51. उमराव पुत्री रूपाजी
52. सीमा पुत्री रूपाजी

समस्त जाति जाट निवासी देवगुढा तहसील जालसू जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :– (1) बनवारी शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) लालचंद जाट, महावीर प्रसाद शेरावत – अधिवक्ता प्रति. संख्या 3/2/2

दिनांकः– 29.12.2025

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 3/2/2 की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद बाबत घोषणा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा का भूमि विवादग्रस्त वाके ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वाद पत्र मे पेज नम्बर 5 का पैरा संख्या 1 में भूमि खसरा नम्बर 91, 109, 89, 113, 122, 110, 111, 76 के सम्बन्ध में कथन किया है कि वादीगण इन खसरा नम्बरान के लिए कोई अनुतोष नही चाहता है, अर्थात वादीगण सम्पूर्ण भूमि के राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध मे दावा किया है किन्तु वादीगण सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि को छोडकर शेष भूमि के राजस्व रिकार्ड को सही मान रहा है, वादीगण के कथनानुसार ही जब कुछ भूमि के अलावा अन्य भूमि का राजस्व रिकार्ड सही है तो शेष भूमि के राजस्व रिकार्ड भी सही माना जावेगा, इसलिए वाद पत्र के अनुसार ही वादीगण का कोई अनुतोष शेष नहीं रहता है इसलिए वादीगण के कथनानुसार ही वाद चलने योग्य नही है। और खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित किया है कि सम्वत् 2010 से 2023 के राजस्व रिकार्ड में महादेव पुत्र रामबक्स, ..., जगदीश, रामदेव पिसरान खांगा 3/4 दर्ज रिकार्ड थी। इस सम्बन्ध मे निवेदन है कि ... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद बाई आपरेशन ऑफ लॉ उक्त ... व्यक्तियो को प्राप्त हुई है इससे पूर्व उक्त भूमि जागीर मे थी. ऐसी स्थिति में ... प्रस्तुत वाद वादीगण की स्वीकारोक्ति एवम् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के विपरित है इसलिए वादीगण का वाद कभी भी डिकी नही हो सकता इसलिए यह वाद विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का ही

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा इस वाद में विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा गया है। आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार वादीगण द्वारा विभाजन का अनुतोष नही चाहने के कारण निषेधाज्ञा का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा वाद में वर्णित किया है कि दिनाँक 15.07.2025 कॉ वाद कारण उत्पन्न हुआ है जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र का मद नम्बर 8 में वर्णित किया है कि भूमि विवादग्रस्त सम्वत् 2010 से ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है अर्थात आज से 72 साल पूर्व से ही भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जिससे भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र बिना वाद कारण के प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए भी कब्जे के अभाव में वादीगण घोषणा का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा दिनाँक 04.08.2025 कों वाद प्रस्तुत किया है जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र का मद नम्बर 8 में वर्णित किया है कि भूमि विवादग्रस्त सम्वत् 2010 से ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है अर्थात आज से 72 साल पूर्व से ही भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज रिकार्ड रहा है, और वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 48 व 49 जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि है को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है जो कि आज्ञापक प्रावधान है, धारा 80 सी.पी.सी. की पालना नहीं किये जाने के कारण वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध मे कुछ भूमि के राजस्व रिकार्ड को सही माना है और कुछ भूमि के राजस्व रिकार्ड को गलत माना है। ऐसी स्थिति में भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानो के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध में उपधारणा की जाती है कि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है जिसके विरूद्ध वादीगण वाद पत्र में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। और धारा 140 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के प्रावधानो के विपरीत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने आपको प्रस्तुत वाद में ग्राम सुदर्शनपुरा का निवासी बताया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वादीगण ग्राम सुदर्शनपुरा के निवासी नही है व नही कभी इनके पूर्व हकधारी या उनसे पूर्व के कोई हकधारी ग्राम सुदर्शनपुरा या ग्राम देवगुढा में ही रहे है। वादीगण ने झूठे तथ्यो पर कानूनी प्रावधानों के विपरीत वाद प्रस्तुत किया है जो सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधान आदेश 6 नियम 14 (क) व उसमे वर्णित प्रावधानो की अवहेलना कर वाद प्रस्तुत किया गया है जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादि वादी का वाद ... लों अर्थात विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पेश कर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से इन्कार करते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस, प्रार्थना पत्र के तथ्यो का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस व वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अंतर्गत धारा 88 एवं 188 के तहत पेश किया गया है। वादी ने अपने वाद पत्र मे पेज नम्बर 5 का पैरा संख्या 1 में भूमि खसरा नम्बर 91, 109, 89, 113, 122, 110, 111, 76 के सम्बन्ध में कथन किया है कि वादीगण इन खसरा नम्बरान के लिए कोई अनुतोष नही चाहता है, अर्थात वादीगण सम्पूर्ण भूमि के राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध मे दावा किया है किन्तु वादीगण सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि को छोडकर शेष भूमि के राजस्व रिकार्ड को सही मान रहा है, वादीगण के कथनानुसार ही जब कुछ भूमि के अलावा अन्य भूमि का राजस्व रिकार्ड सही है तो शेष भूमि के राजस्व रिकार्ड भी कानून की नजर में सही माना जावेगा, संक्षेप में, कानूनी अवधारणा यह है कि जब तक कोई कथन दुर्भावनापूर्ण या मनमाना न हो, और यदि वह कानून द्वारा संरक्षित विशेष स्थिति (जैसे विशेषाधिकार प्राप्त स्थान) में या निष्पक्षता एवं शपथ पत्र के साथ कहा गया हो, तो उसे सत्य या उचित माना जावेगा। उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में कहां गया है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रयोजन हेतु वादपत्र में किये गए कथनों (averments) को यथावत सत्य मानते हुए विचार किया जाना आवश्यक है

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि सम्वत् 2010 से 2023 के राजस्व रिकार्ड में महादेव वल्द रामबक्शा, जगदेव, जगदीशं, रामदेव पिसरान खांगा 3/4 दर्ज रिकार्ड थी। इस संबंध में उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद बाई आपरेशन ऑफ लॉ उक्त वर्णित व्यक्तियो को प्राप्त हई है इससे पूर्व उक्त भूमि जागीर मे थी. ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण की स्वीकारोक्ति एवम् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं सत्यतता के विपरित है। जोकि आदेश 7 नियम 11(घ) के तहत खारिज होने योग्य है।

वादीगण द्वारा वाद में कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त सम्वत् 2010 से ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है अर्थात आज से 72 साल पूर्व से ही भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जिससे भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र बिना वाद कारण के प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने अर्थात आदेश 7 नियम 11(ए) के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध मे कुछ भूमि के राजस्व रिकार्ड को सही माना है और कुछ भूमि के राजस्व रिकार्ड को गलत माना है। ऐसी स्थिति में भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध में उपधारणा की जाती है कि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है जिसके विरूद्ध वादीगण कोई वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। और धारा 140 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण ने वादपत्र में राज. काश्तकारी अधिनियम के पूर्व ही प्रतिवादीगण के पूर्व हक धारियों को खातेदार काश्तकार काबिज होना माना जिसके अनुसार प्रतिवादीगण काश्तकारी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:54 IST
Reason: SelfAttested

कानून के पूर्व खातेदार रहें है, तो ऐसे व्यक्तियों की खातेदारी धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम में समाप्त नहीं की जा सकती तथा वादीगण अपने कथनानुसार ही वाद प्रस्तुत किये जाने के लिए बार्ड है।

वादीगण द्वारा केवल मात्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद में विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा आदेश 2 नियम 2 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभाजन का अनुतोष नहीं चाहने के कारण निषेधाज्ञा का वाद विधि द्वारा वर्जित है इसी प्रकार घोषणा के वाद के लिए भूमि पर कब्जे की अवधारणा का भी बिन्दू महत्वपूर्ण है चूकिं वादी ने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है तथ वाद में कब्जा प्राप्त किये जाने का अनुतोष नही चाहा गया है ऐसी स्थितियों में वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि वादीगण ने एक वाद अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर जयपर में उनवानी कैलाश बनाम गोपी वगै. प्रस्तुत किया है जिसमें अपने आपकों देवगुढ़ा का निवासी बताया है तथा प्रस्तुत वाद में सुदर्शपुरा ग्राम का निवासी बताया है तथा वादीगण ने वादपत्र के साथ पता रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके अनुसार यह माना जा सकता है कि वादीगण कभी भी उक्त ग्रामों के निवासी नहीं रहे है। तथा न ही वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई लेना देना ही है व न ही कब्जा–काश्त ही रहा है वादीगण ने आदेश 6 नियम 14(क) के प्रावधानों के विपरीत अवहेलना करते हुऐ वाद प्रस्तुत किया है जो बार्ड बाई लॉ होने से खारिज होने योग्य है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. (cpc) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो न्यायालय को कुछ विशिष्ट आधारों पर, मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही वादपत्र (plaint) को खारिज करने का अधिकार देता है, ताकि तुच्छ या कानूनी रूप से कमजोर मामलों में न्यायिक समय बर्बाद न होय इसके मुख्य आधारों में वाद–हेतुक (cause of action) का न होना, मूल्यांकन में कमी, अपर्याप्त स्टाम्प पेपर, या वाद का कानून द्वारा वर्जित होना शामिल हैं, और इस पर निर्णय केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर ही होता है। तथा वादीगण के वादपत्र व कथनों अनुसार वाद चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ (Barred by Law) साबित होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर